संख्या 1469 /V-2-2019-05(आ0)/2017 टी0सी0

प्रेषक,

सोमपाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 15 नवम्बर, 2019**

विषयः–उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों के ढांचे के उपाध्यक्ष एवं सचिव के पद में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–2104/V–2/2017–53(आ0)/2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों में (जनपद नैनीताल एवं उधम सिंह नगर को छोड़कर) जिलाधिकारी को पदेन उपाध्यक्ष एवं अपर जिलाधिकारी को पदेन सचिव नामित किया गया है।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्णित शासनादेश के प्रस्तर–01 (चमोली), प्रस्तर–02 (रूद्रप्रयाग), प्रस्तर–03 (पौड़ी), प्रस्तर–04 (उत्तरकाशी), प्रस्तर–05 (टिहरी), प्रस्तर–06 (पिथौरागढ़), प्रस्तर–07 (बागेश्वर), प्रस्तर–08 (चम्पावत) एवं प्रस्तर–09 (अल्मोड़ा) की तालिका में जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु क्रमांक–01 एवं 02 पर उल्लिखित उपाध्यक्ष (जिलाधिकारी पदेन) एवं सचिव (अपर जिलाधिकारी पदेन) के स्थान पर आवास विभाग द्वारा नामित अधिकारी किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उपरोक्त शासनादेश संख्या–2104/V–2/2017–53(आ0)/2014, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय संख्या–538/XXVII(2)/2019, दिनांक 13 नवम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सोमपाल)
उप सचिव।

E:\ \awas\letter.doc

1046
19/11/19

संख्या / V-2-2019-05(आ0) / 2017 टी0सी0 तददिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, माजरा, देहरादून।
02. सचिव, गोपन (मंत्रिमंडल) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
03. आयुक्त, गढ़वाल / कुमांयू मण्डल।
04. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, देहरादून।
07. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
08. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
09. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल / एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु. सचिव।

E:\ \awas\letter.doc